कार्यालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

प्रकरण संख्या :– 1155/2024

अनवान :–

अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नोहर बाबत ग्राम सुरपुरा से ललाना सडक किमी 0/0 से 10/500 हेतु दान की गई भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने

वादी

बनाम

तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

प्रतिवादी

राजस्व वाद संख्या :–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
02.12.20224	अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नोहर ने अपने पत्रांक 12163378 दिनांक 02.12.2024 द्वारा लिखा गया की ग्राम पंचायत भोगरना के ग्राम सुरपरा से ललाना तक सडक निर्माण किया जाना हे जिस हेतु विभाग के पास कोई जमीन उपलब्ध नही थी स्थानीय जनप्रतिनिधि के प्रयासों से शहर के प्रबुधजन नगरिकों ने सुरपुरा सें ललाना किमी 0/0 से 10/500 तक सडक निर्माण हेतु 16.5 फुट जगह राज्य सरकार को बिना किसी हरजाने के समर्पित की है सडक हेतु काश्तकारों के द्वारा भूमि सर्मपण करने के साक्ष्य में अपने शपथ पत्र पेश किये गये है जो इस पत्र के सलग्न है अतः समर्पित की गई भूमि का नामान्करण सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग के पत्रांक 02.12.2024 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत दर्ज किया जावे एवं पत्र में वर्णित भूमि की मौका जांच एव राजस्व रिकार्ड के अनु[illegible] रिपोर्ट/तथ्यात्मक प्रतिवेदन मय नजरीय [illegible] पत्रावली रिपोर्ट आने /दिनांक [illegible]।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:56:09 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
09.12.2024	पत्रावली पेश हुई तहसीलदार नोहर से वाच्छित रिपोर्ट प्राप्त नही हुई इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 23.12.2024 को पेश हो	
23.12.2024	पत्रावली पेश हुई तहसीलदार नोहर ने जरिये पत्रांक पत्रांक ऑ–14 / एलआर 2024 / 9917 दिनांक 23.12.2024 द्वारा काश्तकारों के द्वारा समर्पण की गई भूमि का विवरण 16.5 फुट के अनुसार एवं नजरीय नक्शा पटवार मण्डल अनुसार प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार पटवार मण्डल ललानाबस उतरादा की भूमि पर किसी प्रकार का विवाद स्थगन नही है रिपोर्ट शामिल मिसल की गई शामिल मिसल की गई उभयपक्षो का सुना गया पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 24.. 2024 को पेश हो	
24.12.2024	पत्रावली पेश हुई हमने अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नोहर एवं तहसीलदार नोहर को सुना पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नोहर ने अपने पत्रांक 12163378 दिनांक 02.12..2024 का पत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार नोहर को अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नोहर ने अपने पत्रांक 9717 दिनांक 23.12.2024 के पत्र की प्रति भिजवाई जाकर राजस्व रिकार्ड एव मौका की जांच कर नजरीय नक्शा एवं किस काश्तकार की कितनी भूमि समर्पित की गई है का हैक्[?] में विवरण एवं किसी न्यायालय का स्थगन आदेश एव विवाद के सम्बध में रिपोर्ट चाही गई । तहसीलदार नोहर ने अपने पत्रांक 9717 दिनांक 23.12.2024 द्वारा काश्तकारों के द्वारा समर्पण की गई भूमि का विवरण 16.05 फुट के अनुसार एवं नजरीय नक्शा पटवार मण्डल अनुसार प्रस्तुत किया	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:56:09 IST
Reason: SelfAttested

गया है तथा पटवार मण्डल ललानाबास उतरादा के काश्तकारो के द्वारा सर्मपण की जा रही भूमि के सम्बध में कोई वाद/विवाद नही है

ग्राम सुरपुरा से ललाना तक सडक किमी 0/0 से 10/500 तक सडक निर्माण हेतु काश्तकारों के द्वारा बिना किसी हर्जानें के अपनी खातेदारी भूमि को सडक निर्माण के लिये समर्पण किया गया है साक्ष्य के तौर पर शपथ पत्र पेश किया गया है तथा तहसीलदार नोहर ने समर्पण की गई भूमि के सम्बध में नजरीय नक्शा /जमाबन्दी मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है

तहसीलदार नोहर /पटवार मण्डल ललानाबस उतरादा के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार पटवार मण्डल ललानाबास उतरादा के काश्तकारों के द्वारा सडक निर्माण हेतु समर्पण की गई भूमि का राजस्व रिकार्ड में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अतः अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नोहर के निवेदन एवं तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट नजरीय नक्शा के अनुसार ग्राम सुरपुरा से ललाना सडक किमी 0/0 से 10/500 तक सडक निर्माण हेतु पटवार मण्डल ललानाबास उतदारा के खातेदार काश्तकारों के द्वारा सर्मपण की गई भूमि का अंकन सार्वजनिक विभाग के नाम किया जाकर राजस्व नक्शा में अंकन किया जाने के आदेश दिये जाते है सडक हेतु सर्मपण की गई भूमि का राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा में अकन करने हेतु तहसीलदार नोहर को लिखा जाकर पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 24/12/2024- को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:56:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर